

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह विभाग

[गोपन]

अनुभाग-3

विधि

12 जनवरी, 2005 ई०

सं० 103/1/7/2002-सी० एम०-3--चूकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सशिरतार बंणित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग लोक प्रकृति के प्रयोजनों के लिए अर्थात् विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है,

और चूकि उसके सम्बन्ध में कोई सूचना या उमके नष्ट होने या उसमें रुकावट या बिध्न पडने में शत्रु की ल.भ पहुंचेगा,

अतएव, अब, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1285, दिनांक 4 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त ब.त अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खंड (8) के उपखंड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार बंणित भू-गृहादि का उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करते हैं और यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगाई जायेगी :

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और उसकी विनिदिष्टियां

400 के० वी० सब-स्टेशन पावर ग्रिड शमशाबाद रोड, अ.गरा

पूर्व में-कृषि भूमि व सनरायज मसाला फ़ैक्ट्री ।  
पश्चिम में-कृषि भूमि व पेट्रोल पम्प ।  
उत्तर में-अ.गर.-शमशाबाद रोड ।  
दक्षिण में-कृषि भूमि ।

अज्ञा से,  
प्रदीप भटनागर,  
सचिव ।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 103/1/7/02 CX-3**, dated January 12, 2005 for general information :

No. 103 1 7/02 CX 3

January 12, 2005

WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for purposes of the public character namely for power supply ;

AND, WHEREAS, information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith could be useful to an enemy ;

Now, THEREFORE, in exercise of the power under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. XIX of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification **no. S. O.-1285**, dated May 4, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a 'Prohibited Place' for the purposes of the said Act, and is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the Vernacular of the locality be affixed to the said premises :

Schedule

Name and specifications of the 'Prohibited Place'

400 K. V. Sub-Station Power Grid Shamshabad Road, Agra.

*In East*—Agriculture land and Sanraij Masala Factory.

*In West*—Agriculture land and petrol pump.

*In North*—Agra-Shamshabad Road.

*In South*—Agriculture land.

By order,

PRADIP BHATNAGAR,  
Secretary, Home Deptt.

टिप्पणी—राजपत्र दिनांक 26-03-2003 के भाग-1 में प्रकाशित ।

[ प्रतिकृति सूचनार्थ प्रेषित-- ]

सं० ए० ए० ए०-2 सं० गृह(गोपन), 05-04-2005-60 (मोनो) ।